समक्ष में माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश ।

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

निग. 227-III/10

सुरेश चन्द्र मिश्राणी आत्मज स्व. मोती राम मिश्राणी पेशा वकालत आयु 46साल, निवासी पुराना पडाव उमरिया, जिला-उमरिया मध्यप्रदेश .. ..पुनरीक्षक,

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक नजूल, उमरिया, जिला-उमरिया म.प्र.

...प्रत्यार्थी/प्रत्युत्तर दाता

आज दि० 25/2/10 को प्रस्तुत ।
अवर सचिव 25/02/10
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

न्यायालय संभाग आयुक्त शहडोल मध्यप्रदेश द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक-258/अपील/08-09 में पारित निर्णय दिनांक-27.11.2009, के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं. ।

मान्यवर,

सादर । पुनरीक्षक का निवेदन निम्नांकित है:-

(संक्षिप्त तथ्य)

1. यहकि राजस्व निरीक्षक (नजूल) उमरिया जिला उमरिया म.प्र. द्वारा स्वीकृत रूपेण मौके में नाप किये जाने के पूर्व कोई सूचना जारी अथवा तामील किये बिनाही तथा मौके से कोई नाप किये बिना ही पुनरीक्षक एवं पुनरीक्षक के पिता (अब स्वर्गीय) के विरुद्ध शासकीय आराजी खसरा नं. 242 एवं 248 के अंश भाग 26×56=1456 वर्गफिट भाग पर अतिक्रमण करने की झूठी रिपोर्ट माननीय विचारण न्यायालय तहसीलदार "नजूल" उमरिया मध्यप्रदेश के न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर पुनरीक्षक को साइक्लोस्टाईल कारण बताओ सूचना-पत्र यंत्रवत जारी एवं तामील होने, ऐसे कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली प्रति में रिक्त स्थानों पर अतिक्रमित मौके का खसरा नं. एवं चौहद्दी (चर्तुसीमा) अंकित नहीं होने, पुनरीक्षक की लिखित मांग के बावजूद अतिक्रमण रिपोर्ट पंचनामा आदि किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि पुनरीक्षक को दी जाना माननीय विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा दी जाना मना कर दिये जाने, पुनरीक्षक अपनी प्रतिरक्षा एवं जवाब के अवसर से वंचित हो गया होने, पुनरीक्षक को प्रतिरक्षा साक्ष्य का कोईसमय अथवा अवसर विचारण

D.D.

R - 227-III/110 उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/5/16	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता उपस्थित नहीं। उद्घोषणा समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं अतः आवेदक अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [signature]	

M